आम जनता चौरू जरिये हितप्रतिनिधि,

1. शंकर लाल पुत्र रामू,
2. सीताराम पुत्र रामदेव,
3. छोटू पुत्र रामू,
4. बद्री पुत्र भूरा,
5. जवाहर लाल पुत्र रामू,
6. रामोतार पुत्र बालू, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चौरू, तहसील फागी जिला जयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री महेन्द्र कुमार एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 28.08.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चौरू में आम जनता के रहवास हेतु व 1993 में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2893/1 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि जिला कलक्टर जयपुर द्वार सेटअपार्ट की जाकर उक्त 5 बीघा की प्रस्तावित तरमीम कर गैर मु. आबादी की गई जिसके खसरा नम्बर 4361/2893 रकबा 5 बीघा गै.मु. आबादी वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी में स्थित है। उन्होन आगे कथन किया है कि ग्रामवासी चौरू अपनी आवश्यकता होने पर बसावट कर रहे थे जिनके स्थाई रहवास हेतु उक्त चारागाह भूमि उक्त आबादी हेतु सेटअपार्ट की जाकर आबादी भूमि कायम की गई जिसकी तरमीम मुताबिक प्रस्तावित तरमीम कें नही की गई जबकि आम जनता ग्राम चौरू व अपीलार्थी उक्त आबादी भूमि में बसावट रहवास के लिये मकान, पशु व चारा रखने के बाडे पूर्व से ही बनाकर कर रहे व और वर्तमान में भी मौके पर प्रस्तावित तरमीम अनुसार काबिज है, प्रस्तावित तरमीम मूल खसरा नम्बर 2893/1 चारागाह में से जो खसरा नम्बर 4363/2893 चारागाह नम्बर है के पूर्वी कोण के सामान्तरण लगवा रास्ते के लगवा खसरा नम्बर 4361/2893 आबादी की तरमीम की जानी चाहिये थी परन्तु राजस्व कारकुनानों ने बिना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

मौका देखे एवं बिना प्रस्तावित तरमीम की ओर ध्यान न देकर उक्त आबादी भूमि की वर्तमान नक्शा लट्ठा में प्रस्तावित तरमीम से हटकर तरमीम कर दी। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तावित तरमीम के विपरित जाकर तरमीम करदी जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को हाल ही में होने पर तरमीम मुताबिक प्रस्तावित तरमीम करने का हल्का पटवारी से निवेदन किया तो उन्होने तहसीलदार फागी के समक्ष चाराजोही करने की कही जिस पर तहसीलदार फागी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी से आदेश लाने की कहने पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे एवं बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर स्पष्ट किया गया कि संलग्न नक्शे में दर्शाई गई पूर्व प्रस्तावित तरमीम के अनुसार तरमीम की जाती है तो अपीलार्थीगण के मकान आबादी भूमि में आ जाते है वर्तमान तरमीम से अपीलार्थी के मकान चारागाह भूमि खसरा नम्बर 4363/2893 में आ रहे है जिस रिपोर्ट एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पूर्णरूप से सिद्ध हो गया था कि उक्त मामला दुरूस्ती योग्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये दिनांक 07.01.2021 को अपीलाधीन निर्णय यह कहते हुये पारित कर दिया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत हितबद्ध पक्षकार मानती थी तो अधीनस्थ न्यायालय सुमोटो ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित कर सकती थी अथवा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु अपीलार्थीगण को आदेश भी दे सकती है किन्तु ग्राम पंचायत के पक्षकार नही बनाने के बिन्दु पर अपील खारिज नही की जा सकती। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त अपीलाधीन भूमि की तरमीम किये जाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को आदेशित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में हितबद्ध ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य ही था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित तहसीलदार फागी के पत्रांक 3499 दिनांक 11.07.2019 में अंकित किया गया है कि आबादी भूमि की तरमीम करते समय जो प्रस्तावित भिजवाया गया था उससे हटकर तरमीम करदी गई, मामला दुरूस्ती का बनता है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना ध्यान दिये केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाये जाने का आक्षेप के साथ अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा भी ग्राम पंचायत को सुमोटो पक्षकार संयोजित कर सकता था अथवा अपीलार्थीगण को ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु आदेशित किया जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/8/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।